न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –185/2019

अनवान : –

1. आत्माराम पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जुगलाल वल्द दलुराम उर्फ दलसुख जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
2. विनोद पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
3. कृष्णा पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी बीराण् तहसील भादरा।
4. शकुन्तला पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुशीराम गोस्वामी वादी
श्री ताराचंद मोठसरा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 17/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता सं 27 के मु0न0 13 किला न0 19 ता 22 मु0 न0 14 के किला न0 16 ता 18, 21 ता 25 की कुल 3.036 है0 नहरी गय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा दलूराम उर्फ दलसुख के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। दलूराम उर्फ दलसुख के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 जुगलाल के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 जुगलाल के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि के अलावा चक 4 एएमएस में भी प्रतिवादी सं 1 जुगलाल के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी आत्माराम पुत्र जुगलाल निवासी बीराण के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 6 एएमएस सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 6 एएमएस सम्वत 2016 प्रदर्श 2 ग्राम पंचायत का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता सं 27 के मु0न0 13 किला न0 19 ता 22 मु0 न0 14 के किला न0 16 ता 18, 21 ता 25 की कुल 3.036 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 1 जुगलाल व प्रतिवादी सं 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। चुंकि प्रतिवादी सं जुगलाल की वाद भूमि के अलावा चक 4 एएमएस मे भी खातेदारी होना वाद में बताया गया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 6 एएमएस के खाता सं 27 के मु0न0 13 किला न0 19 ता 22 मु0 न0 14 के किला न0 16 ता 18, 21 ता 25 की कुल 3.036 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रतिवादी सं 1 जुगलाल का नाम कलमजन कर वादी सं 1 आत्माराम व प्रतिवादी सं 2 विनोद **बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 1 जुगलाल व प्रतिवादी सं 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं 2 विनोद के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 2 विनोद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ